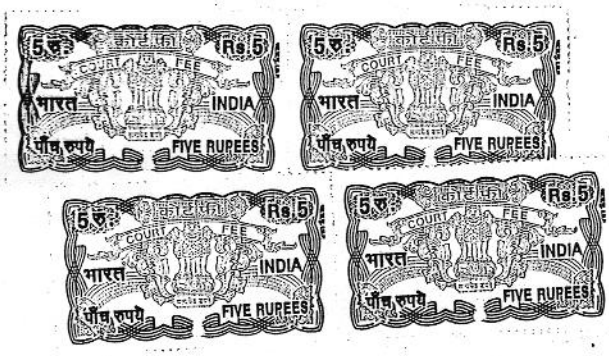

न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रं०   ।२०१५ निगरानी ... 3818 - III - 15

धर्मेन्द्रसिंह पिता छतरसिंहजी उम्र ४० साल
निवासी पानबिहार तेहसील घटिया जिला उज्जैन
---- आवेदक

विरुद्ध

आलमनूर बी विधवा हमीदखाँ आयु ६३ साल
व्यवसाय कृषि व गृह कार्य निवासी ग्राम
पानबिहार तेo घटिया जिला उज्जैन
---- अनावेदिका

श्री रमेश मूलाल अभि० द्वारा आज उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत 20-11-15

16/12/15 R.C.mmal

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू० रा० सं०
आदेश प्रदानकर्ता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
महोदय घटिया के प्र०क्रं० ३६।१२-१३ अपील
आदेश दिनांक २८-१०-२०१५ से असंतुष्ट व दुःखी
होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है ::-

-:: प्रकरण के तथ्य ::-

यह कि आवेदक ने अनावेदिका से उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नं० २०१७।१ रकबा ०-०५ हे० सर्वे नं० २०१८ रकबा ०-०४६ और सर्वे नं० २०१६।३ रकबा ०-०४६ हे० कुल रकबा १-०३ हेक्टर को क्रय करने का व अन्य सर्वे नंबरो को क्रय करने का अनुबंध-पत्र अनावेदिका से दिनांक २५-६-०३ को विधिवत गवाहो के समक्ष ५,२३,००० रुपया अदा कर आवेदक के हक मे अनावेदक ने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3818–तीन/2015 जिला उज्जैन

धमेन्द्र सिंह विरूद्ध आलमनूर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्रों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –12–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–10–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में अनुबंध पत्र के आधार पर हुये नामांतरण के विरूद्ध 10 साल विलंब से प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मानकर ग्राह्य किया है तथा प्रकरण बहस हेतु नियत किया है। अनुबंध पत्र के आधार पर कब्जा मानते हुये यदि नामान्तरण किया गया है तो एक विधवा महिला के विरूद्ध किए गए आदेश की अपील समयावधि में स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में भी आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर उपलब्ध है जहां वह अपना पक्ष रख सकता है। दर्शित परिस्थिति इस निगरानी में ग्राह्यता का कोई आधार प्रकट नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	